न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 21 / बी–121 / 2014–15

: आदेश ::

(आज दिनांक 20 / 04 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा के माध्यम से तहसीलदार सोण्डवा का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनाक 14.04.2015 को ग्राम दुधवी तहसील सोण्डवा मे सडक दुर्घटना होने से अम्बु पिता गुलालसिंह जाति भीलाला निवासी दुधवी ग्राम पंचायत करजवानी की मृत्यू हो गई थी । उसके वैध वारिश उसकी पत्नि श्रीमति समदी पति स्व. श्री अम्बु जाति भीलाला निवासी ग्राम दुधवी को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृतक के वारिश उसकी पत्नि श्रीमति समदी पति स्व श्री अम्बु जाति भीलाला निवासी ग्राम दुधवी ग्राम पंचायत करजवानी तहसील सोण्डवा को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/ एफ–20–21/2012/1/4 भोपाल, दिनाक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय माग सख्या 02–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एव कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/361/रीडर/2015 अलीराजपुर दिनांक 20/4/2015

प्रतिलिपिः–

1. जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2. प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3. प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा
5. तहसीलदार तहसील सोण्डवा ।
6. संबंधित श्रीमति रामदी पति स्व. श्री अम्बू जाति भीलाला निवासी ग्राम दुधवी ग्राम पंचायत करजवानी तहसील जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर